भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(एएस-II प्रकोष्ठ)

संचार भवन
20, अशोक रोड, नई दिल्ली
दिनांक 12 जून, 2008

सं0 842-725/2005-वीएएस/269

सेवा में

1. सभी सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारक ।
2. सभी एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक।

विषय :- एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) का खंड 2.2 (क) (i), 2001 या उसके बाद जारी किए गए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) लाइसेंसों के खंड 2.1 (क), 2001 से पहले जारी किए गए सीएमटीएस लाइसेंसों के खंड 12.6 (क) और सीएमटीएस लाइसेंस से अंतरित यूएएसएल के खंड 2.2 (क) का संशोधन ।

यूएएस लाइसेंसों, 2001 या उसके बाद जारी किए गए सीएमटीएस लाइसेंसों के खंड 5.1 और सीएमटीएस सर्किल लाइसेंसों के खंड 314 (ii) एवं 2001 से पूर्व जारी किए गए सीएमटीएस मेट्रो सर्किल लाइसेंसों के खंड 313 (ii) के अनुसरण में तथा अन्य बातों के साथ-साथ, जनहित में या सेवा के भली प्रकार संचालन के लिए लाइसेंस की सेवा शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार होने से, लाइसेंसप्रदाता प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय एतद्द्वारा लिया जाता है कि निम्नलिखित प्रावधान को एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के मौजूदा खंड 2.2 (क) (i), 2001 या उसके बाद जारी किए गए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसों के खंड 2.1 (क), 2001 से पूर्व जारी किए गए सीएमटीएस लाइसेंसों के खंड 12.6 (क) और सीएमटीएस लाइसेंस से अंतरित यूएएसएल के खंड 2.2 (क) के नीचे जोड़ा जाए :

"नोट : कोई लाइसेंसधारक अन्य लाइसेंसशुदा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारकों/एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों के साथ अंतरा सेवा क्षेत्र रोमिंग सुविधा के लिए पारस्परिक वाणिज्यिक करार कर सकता है। साथ ही, ट्राई समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के उपबंधों के तहत ऐसी सुविधाओं के लिए टैरिफ/प्रभारों को भी निर्धारित कर सकता है।"

(राज के0 कटारिया)
अवर सचिव भारत सरकार

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :
1. सचिव, ट्राई, नई दिल्ली।
2. उप महानिदेशक (सुरक्षा), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
3. उप महानिदेशक (सीएंडए), दूरसंचार विभाग को इसे दूरसंचार विभाग वेबसाइट पर डालने के लिए।
4. उप महानिदेशक (एएस-I) को सूचनार्थ ।

104